क्रम-संख्या—199

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11—लाई0—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 4 सितम्बर, 2006

भाद्रपद 13, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1021/सात-वि—1-01(क) 25-2006

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 01 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह 25 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 में नई धारा 31-घ का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 31-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:–

"31–घ (1) प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक को, जो,–

(क) राज्य सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 23 नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए ऐसे किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था जो प्रबन्धतंत्र द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उक्त मानकों के आधार पर भरा गया था,

(ख) अपनी नियुक्ति के दिनांक से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ होने के दिनांक तक महाविद्यालय में निरन्तर सेवारत रहा हो,

(ग) नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी अर्हतायें रखता हो जो नियमित नियुक्ति के लिए चयन के दिनांक को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन उस पद के लिए अपेक्षित थी,

(घ) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है, यदि सम्बन्धित विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति खण्ड (ग) में निर्दिष्ट दिनांक को उपलब्ध हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा,

(ख) विशेष सचिव के पद से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी जो सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,

(ग) निदेशक।

(3) उपधारा (2) के अधीन चयन समिति प्रत्येक ऐसे तदर्थ अध्यापक के मामलों पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों की दृष्टि से उसकी पात्रता और उसके अभिलेख के आधार पर उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति के लिए महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को उसके नाम की संस्तुति करेगी।

(4) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व धारा 13 के अधीन आयोग द्वारा संस्तुत कोई व्यक्ति इस कारण नियुक्ति नहीं पाता है कि उस रिक्ति में जिसके लिये उसकी संस्तुति की गयी थी, उपधारा (1) के अधीन अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी हो, वहाँ राज्य सरकार किसी महाविद्यालय में किसी उपयुक्त रिक्ति में उसकी नियुक्ति के लिए उपयुक्त आदेश देगी और धारा 13 की उपधारा (5) और (6) और धारा 14 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई अध्यापक जो इस धारा के अधीन मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनांक से जो प्रबन्धतंत्र द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे पद पर नहीं रह जायेगा।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदे अध्यादेश संख्या 6 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु अध्यापकों के चयन के लिए या उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1980) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में शब्द 'महाविद्यालय' को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार महाविद्यालय का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया गया हो, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित महाविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (18) में यथा परिभाषित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम संचालित करने वाला महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार वर्ष 1980 का उक्त अधिनियम स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्त अध्यापकों पर लागू नहीं है। वर्ष 2000 में राज्य में राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि किसी अनानुदानित अशासकीय महाविद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों के तथा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में नये विषय खोलने के लिए आवश्यक अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन के संदाय के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। सेवा में अनिश्चितता के कारण बी० एड० पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अतः बी०एड० पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को बनाये रखने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 23 नवम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाली और 31 अगस्त, 2003 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किसी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में बी० एड० पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए किसी पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापकों को महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकने की व्यवस्था करने के लिए 1980 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1021/VII-V-1-01(Ka)25-2006
Dated Lucknow, September 4, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Chayan Ayog (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 1, 2006.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 22 OF 2006)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

1. (1) This Act may be called The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2006. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 25, 2006.

Insertion of new section 31-D in U.P. Act no. 16 of 1980

2. *After* section 31-C of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:–

"31-D-(1) Any teacher, other than a Principal who,–

(a) was appointed in a grant-in-aid college on *ad-hoc* basis to teach in the B. Ed. course of study in accordance with the standards laid down by the State Government, concerned University or the National Council for Teacher Education within the period commencing on November 23, 1991 and ending with August 31, 2003 to a post which was filled by the management on the basis of the said standards after obtaining the permission of the concerned University,

(b) has been continuously serving the college from the date of his appointment up to the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2006,

(c) possesses the qualifications required for regular appointment to the post under the provision of the relevant statutes in force on the date of selection for regular appointment,

(d) has been found suitable for regular appointment by the Selection Committee constituted under sub-section (2),

may be given substantive appointment by the management of the college, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the respective department is available on the date referred to in clause *(c)*.

(2) The Selection Committee referred to in sub-section (1) shall consist of,

(a) a member of the Commission nominated by the State Government who shall be the Chairman;

(b) an officer not below the rank of Special Secretary, to be nominated by the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Higher Education Department;

(c) the Director.

(3) The Selection Committee constituted under sub-section (2) shall consider the cases of every such *ad-hoc* teacher and on being satisfied about his eligibility in view of the provisions of sub-section (1), and his work and conduct on the basis of his record, recommend his name to the management of the college for appointment under sub-section (1).

(4) Where a person recommended by the Commission under section 13 before the commencement of the Ordinance referred to in clause *(b)* of sub-section (1) does not get an appointment because of the appointment of another person under sub-section (1) in the vacancy for which he was so recommended, the State Government shall make suitable order for his appointment in a suitable vacancy in any college and the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 13 and section 14 shall *mutatis-mutandis* apply.

(5) A teacher appointed on *ad-hoc* basis referred to in sub-section (1) who does not get a substantive appointment under this section shall cease to hold such post from such date as the management may specify."

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed. U P Ordinance no. 6 of 2006

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of the Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 10 of 1980) has been enacted to establish a service commission for the selection of teachers for appointment to the colleges affiliated to or recognized by a University and for matter connected therewith or incidental thereto. In the said Act the word 'College' has been defined in accordance with which college means an affiliated or associated College to which the privilege of affiliation has been granted by a University governed by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, excluding a College established by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution or a College exclusively maintained by the State Government or a College resoring self finance course as defined in clause (18) of section 2 of the States Universities Act, 1973. Thus the said Act of 1980 is not applicable to the teachers appointed in self-financing courses of study. In the year 2000 it was decided by the State Government that no financial aid in any form shall be given by the State Government for the payment of salary of teachers/employees of an unaided Non-Government Degree College and of the teachers and employees necessary for opening new subjects in an aided Non-Government College. Due to uncertainty in service the quality of B.Ed. Course was adversely affecting. Therefore with a view to maintaining the quality of B.Ed. Course of study it was decided to amend the said Act of 1980 to provide that a teachers who was appointed in a grant-in-aid College on *ad-hoc* basis to a post to teach in the B.Ed. course of study in accordance with the standards laid down by the State Government, concerned University the National Council for Teacher within the period commencing on November 23, 1991 and ending with August 31, 2003 may be given substantive appointment by the management of the College.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislature action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 6 of 2006) was promulgated by the Governor on July 25, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R. M. CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–1088 राजपत्र (हि०)–2006–(1652)–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–126 सा० विधायी–2006–(1653)–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।